न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2024/463 दर्ज तिथिः—04.10.2024

1. अमजद खान पुत्र पीरे खान
जाति कुम्हार निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालुराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—16.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 04 हाल खसरा नम्बर 1795/4.0711 है0 में प्रार्थी खातेदार मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072—2076 में खाता संख्या 04 में प्रार्थी का नाम अजमत पुत्र पीरेखां अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम अमजद खान पुत्र पीरे खान दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2072—2076 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम अमजद खान पुत्र पीरे खान दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:02 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमजद खान पुत्र पीरे खान के स्थान पर अजमत पुत्र पीरेखां दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में अजमत पुत्र पीरेखां दुरूस्त कर सही नाम अमजद खान पुत्र पीरे खान दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072—2076 वाके ग्राम गुड़ामालानी के नवीन खाता संख्या 04 का विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
अजमत पुत्र पीरेखां	पूर्ण	1795 मौजा गुड़ामालानी	4.0711

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः—

दस्तावेज का विवरण	नाम
विवाह प्रमाण पत्र	अमजद खान पुत्र पीरे खान
पहचान पत्र	अमजद खान पुत्र पीरे खान
मा.शि.बो. राज. की 10 वीं अंकतालिका मय प्रमाण पत्र	अमजद खान पुत्र पीरे खान
आधार कार्ड	अमजद खान पुत्र पीरे खान

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. *अमजद खान पुत्र पीरे खान एवं खसरा संख्या 1795 में दर्ज अजमत पुत्र पीरेखां एक ही व्यक्ति है।*
   2. *प्रार्थी का नाम वर्तमान दस्तावेज अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। अन्य दस्तावेज में नाम अमजद खान पुत्र पीरे खान है।*
   3. *राजस्व रिकॉर्ड में अमजद खान पुत्र पीरेखां किया जाना उचित है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अमजद खान पुत्र पीरे खान एवं अजमत पुत्र पीरेखां दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम अमजद खान पुत्र पीरे खान अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:02 IST
Reason: SelfAttested

असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **अजमत पुत्र पीरेखां** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **अमजद खान पुत्र पीरे खान** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:02 IST
Reason: SelfAttested